

केंद्रीय सूचना आयोग
२, तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- ११००६६

No.3/2/2017/Admin./CIC/ST/00845

Dated: 21.07.2017

श्री गमदुर सिंह,
मकान न. ३०, गाँव रताथेह,
तह. टोहना, जिला हिसार

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 11.7.2017 का आवेदन इस अनुभाग में 13.07.2017 को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

1-2	सूचना जो कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता हैं या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत प्रकट नहीं की जाएगी।
3.	किसी भी आधिकारी/कर्मचारी की ट्रांसफर आयोग की प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार की जाती है। श्री उमेश चन्द्र जोशी, डिप्टी रजिस्ट्रार की ट्रांसफर भी आयोग की प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार की गयी है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।

स्वाति 21/7/17
(सविता तेलूजा)

अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL

